उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-03/2014-15

मुन्ना साह

बनाम्

रजिन दुबे

—: आदेश :—

दिनांक	
14.12.2	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।
	वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मुन्ना साह, पिता–स्व0 गणेश साह, सा0–कित्ताजोर, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–23/2012–13 आदेश दिनांक–24.01.2014 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–23/2012–13 आदेश दिनांक–24.01.2014 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा–कित्ताजोर नं0 148 जमाबंदी नं0 8, दाग नं0 228 रकवा 00–04–00 धुर जमीन से उच्छेद किया है।
	अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में मौजा–कित्ताजोर नं0 148 जमाबंदी नं0 8 दाग नं0 228 रकवा 00–04–00 धुर जमीन से उच्छेद करने के लिए आवेदन दिया था। जबकि अपीलकर्त्ता उक्त दाग नं0 के मात्र 00–02–00 धुर जमीन पर मकान बना कर सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित जमीन अपीलकर्त्ता के पिता को वर्ष 1937 ई0 में जमाबंदी रैयत से कुर्फा बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ था। तब से अपीलकर्त्ता के पिता उस पर दखककार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अपीलकर्त्ता उस जमीन पर दखलकार हैं। अपीलकर्त्ता भूमिहीन है तथा वर्तमान में उक्त जमीन का स्वरूप भी बदल गया है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरंक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 से प्रभावित नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के बी0बी0सी0जे0 1988 पेज नं0 3721, जे0एल0जे0आर0 2003 भोल्यूम 3 पेज नं0 223 के न्याय निर्णय के अनुसार भी आवास की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद का

आदेश पारित किया है एवं आदेश में उक्त जमीन का रकवा अंकित नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान ही उत्तरवादी नारायण टुडू की मृत्यु हो गई है। उनके स्थान पर उनके पुत्र रंजित टुडू, श्रीलाल टुडू एवं राजेश टुडू को प्रतिस्थापी पक्षकार बनाया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी के पूर्वज ने अपीलकर्त्ता के पूर्वज को मौजा–कित्ताजोर नं0 148 जमाबंदी नं0 8 दाग नं0 228 रकवा 00–02–00 धुर जमीन बासोवास के लिए दिया था। तभी से अपीलकर्त्ता के पूर्वज उस पर मकान बना कर रह रहे थे एवं वर्तमान में अपीलकर्त्ता उस पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। अपीलकर्त्ता से उत्तरवादी को कोई शिकायत या विवाद नहीं रह गया है। भूलवश उत्तरवादी ने वाद दायर किया था। उत्तरवादी को अब उक्त जमीन पर कोई दावा नहीं रह गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक 416/रा0 दिनांक 28.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि कित्ताजोर थाना नं0 148 जमाबंदी नं0 08 दाग नं0 228 के कुल रकवा 02–08–06 धुर जमीन जमाबंदी रैयत छोटा गोपीया टुडू वल्द सुरजु टुडू कौम संताल शा0 देह कहकर अंकित है। उक्त दाग नं0 228 के अंदर 00–02–00 धुर भूमि पर मुन्ना साह शा0 देह पोड़ैयाहाट का दखल बना हुआ है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का सहन नहीं है। अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जबकि उत्तरवादी जमाबंदी रैयत के वंशज है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कित्ताजोर नं0 148 जमाबंदी नं0 8 दाग नं0 228 कुल रकवा 02–08–06 धुर जमीन जमाबंदी रैयत छोटा गोपीया टुडू वल्द सुरजु टुडू के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त दाग नं0 के अंदर रकवा 00–02–00 धुर जमीन अपीलकर्त्ता ने कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन उन्होंने अपने दावा के अनुरूप प्रतिकूल प्रभाव से उक्त जमीन पर दखल का कोई भी साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट

के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का कोई सहन नहीं है। वर्तमान अपीलवाद में उत्तरवादी की ओर से यह कहा गया है कि उसके पुर्वज के द्वारा उक्त जमीन वासोवास के लिए अपीलकर्त्ता के पूर्वज को दिया था। लेकिन चूँकि उक्त जमीन रैयती प्रकृति की जमीन है एवं गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार बाड़ी दौयम की जमीन है। जो कृषि योग्य जमीन है और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के धारा 20 के तहत्त रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–23/2012–13 आदेश दिनांक–24.01.2014 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/12/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/12/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

219
23/12/21

Seen
20/12/2021

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:36:37 +05:30
Location: 192.168.29.8